न्यायालय अति.जिला कलेक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारी :: श्री भागीरथ बिश्नोई, आर.ए.एस.

राजस्व विविध :: 115/2018

RCMS Case No. 2018/00148

प्रार्थी :— सरकार जरिये तहसीलदार सोजत

बनाम

अप्रार्थीः—

1. देवाराम पुत्र भोमाराम
2. छतकी पुत्री भोमाराम
3. जेठी पत्नी भोमाराम जातिगण कुम्हार
4. भुण्डी पत्नी जोगाराम
5. शांति पत्नी नेमाराम जातिगण सीरवी

निवासीगण शिवपुरा तहसील सोजत

प्रा.पत्र अन्तर्गत धारा 82 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :—

1. श्री खीमाराम, सरकारी पैरोकार
2. अप्रार्थीगण अनुपस्थित।

—:: आदेश ::—

दिनांक 31/01/2019

प्रार्थी तहसीलदार सोजत द्वारा यह रेफरेन्स प्रार्थना पत्र विरूद्ध अप्रार्थीगण के अन्तर्गत धारा 82 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया, जिस पर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण एवं उनके द्वारा नियुक्त अधिवक्ता बावजूद नोटिस तामील के न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए। अतः अप्रार्थी के विरूद्ध प्रकरण में गुणावगुण पर कार्यवाही की जाती है। सरकारी पैरोकार की बहस सुनी गई।

सरकारी पैरोकार ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि ग्राम शिवपुरा तहसील सोजत के खसरा नम्बर 1109 रकबा 0.29 हैक्टेयर किस्म बा0प्र0 की भूमि वर्तमान राजस्व रेकर्ड अनुसार अप्रार्थीगण की खातेदारी भूमि है। हाल खसरा नम्बर 1109 साबिक खसरा नम्बर 358 से बने है। गत खसरा नम्बर 358 कि किस्म गै0मु0 नदी थी। भू—प्रबन्ध विभाग द्वारा दौराने सेटमेन्ट उक्त भूमि बिना किसी सक्षम आदेश के साबिक खसरा नम्बर 358 में से 0.29 हैक्टेयर की भूमि के हाल खसरा नम्बर 1109 कायम करते हुए अप्रार्थी संख्या 1 से 3 के पूर्वज बालू पुत्र सांवत जाति कुम्हार के नाम खातेदारी दर्ज की गई है, जिसका भू—प्रबन्ध विभाग को कोई अधिकार नहीं है। चूंकि इस भूमि कि किस्म गै0मु0 नदी थी, जिसका आवंटन नही किया जा सकता है तथा न ही किसी प्रकार से खातेदारी अधिकार प्रदान किये जा सकते है। अतः ग्राम शिवपुरा के गत खसरा नम्बर 358 से वर्तमान खसरा नम्बर 1109 तहरीर करते वक्त अप्रार्थीगण के नाम दर्ज किए गए इन्द्राज को अपास्त करते हुए वर्तमान खसरा नम्बर 1109 रकबा 0.29 हैक्टेयर की भूमि की किस्म पुनः गै0मु0 नदी दर्ज कराने एवं भूमि को

अति० जिला कलेक्टर, पाली

सरकारी खाते में दर्ज करवाने हेतु धारा 82 के तहत माननीय राजस्व मण्डल के समक्ष रेफरेन्स कराया जावे।

बहस पर मनन किया। पत्रावली तथा प्रस्तुत राजस्व अभिलेखों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। ग्राम शिवपुरा तहसील सोजत के खसरा नम्बर 1109 रकबा 0.29 हैक्टेयर किस्म बा0प्र0 की भूमि वर्तमान राजस्व रेकर्ड अनुसार अप्रार्थीगण की खातेदारी भूमि है। उक्त भूमि के गत खसरा नम्बर 358 थे, जिसकी किस्म गै0मु0 नदी थी। वक्त भू–प्रबन्ध, सेटलमेन्ट अधिकारीयों द्वारा गत रेकर्ड से नया रेकर्ड तहरीर करते समय गत खसरा नम्बर 358 से वर्तमान खसरा नम्बर 1109 तहरीर किया गया, जिसमें उक्त भूमि कि किस्म गै0मु0 नदी से परिवर्तित कर बारानी प्रथम दर्ज करते हुए अप्रार्थी संख्या 1 से 3 के पूर्वज बालू पुत्र सांवत कौम कुम्हार के नाम बतौर खातेदार दर्ज कर दी, जिसका भू–प्रबन्ध अधिकारी को किसी प्रकार का अधिकार नहीं था। रेकर्ड के परीक्षण करने से यह स्पष्ट होता है कि भू–प्रबन्ध विभाग द्वारा जो रेकर्ड में तब्दीली की गई है, वह विधि विरूद्ध इस कारण प्रतीत होता है, क्योंकि वक्त भू–प्रबन्ध भूमि कि किस्म बारानी प्रथम न होकर गै0मु0 नदी थी, जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के तहत आवंटन नियमन/खातेदारी अधिकार प्रदान करने से भी प्रतिबन्धित है। इसके अतिरिक्त माननीय उच्च न्यायालय में दायर जनहित याचिका संख्या 1536/2003 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में दिये गये निर्देशों की अनुपालना में भूमि की पूर्व स्थिति को बहाल कर गै0मु0 नदी दर्ज की जानी हैं। अतः दौराने सेटलमेन्ट राजस्व रेकर्ड में बिना नामान्तरकरण के विधि विरूद्ध रूप से किए गए इन्द्राज निरस्त योग्य है।

परिणामस्वरुप तहसीलदार, सोजत द्वारा प्रस्तुत रेफरेन्स प्रार्थना पत्र माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर को प्रेषित कर निवेदन है कि ग्राम शिवपुरा के गत खसरा नम्बर 358 से वर्तमान खसरा नम्बर 1109 तहरीर करते वक्त अप्रार्थी संख्या 1 से 3 के पूर्वज बालू पुत्र सांवत कौम कुम्हार के नाम दर्ज किए गए इन्द्राज को अपास्त करते हुए वर्तमान खसरा नम्बर 1109 रकबा 0.29 हैक्टेयर की भूमि की किस्म पुनः गै0मु0 नदी दर्ज कराने एवं भूमि को सरकारी खाते में दर्ज करवाने का आदेश प्रदान करावें।

(भागीरथ बिश्नोई)
अति.जिला कलेक्टर,पाली